

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

क्र. एफ-25/62/99/पी. डब्ल्यू. सी./चार,

भोपाल, दिनांक 30-12-99

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात :

23. निलंबन की कालावधियों की गणना -

आचरण से संबंधित जांच के लंबित रहने तक, किसी शासकीय सेवक द्वारा निलंबन के अधीन बिताये गये समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में तब ही की जाएगी जहां ऐसी जांच की समाप्ति पर, उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहराया गया हो, अन्य मामलों में निलंबन की कालावधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित नहीं कर देता कि उसकी गणना उस सीमा तक की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करें।”

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(मिलिंद वाईकर)
उप सचिव
म. प्र. शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. एफ-25/62/99/पी. डब्ल्यू. सी./चार.

भोपाल, दिनांक 30-12-1999

प्रतिलिपि :

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त कलेक्टर म. प्र.
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल।
7. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
8. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
10. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल की अधिसूचना राजपत्र भाग-4 (ग) में प्रकाशित करने के लिए.

12. अवर सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) भोपाल।
13. अवर सचिव, म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण), भोपाल.
14. मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल।

15. प्रान्ताध्यक्ष, म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, 110/18 शिवाजी नगर, भोपाल
16. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्यूनिटी हॉल, टी. टी. नगर, भोपाल।
17. प्रान्ताध्यक्ष, म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, 85/61, तुलसी नगर, भोपाल।
18. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, 12/5, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल।
19. प्रमुख महामंत्री, म.प्र. शिक्षक कॉंग्रेस, 6/45 बंगले नार्थ टी.टी.नगर, भोपाल
20. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कॉंग्रेस, कार्यालय विन्ध्याचल भवन के पीछे बेसमेन्ट भोपाल।
21. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी संघ, 48/26 साउथ टी. टी. नगर, भोपाल।
22. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल।
23. अध्यक्ष, म. प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल।
24. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य।

25. महालेखाकार (लेखा और हकदारी-ऑडिट) 1/2 म. प्र. ग्वालियर, भोपाल।
26. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन म. प्र.।
27. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, म. प्र.
28. समस्त कोषालय अधिकारी, म. प्र.

(एम. पी. व्यास)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग